न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 199 / 2026</u>
पण्डारक थाना कांड संख्या 37 / 2026

---

1. संजय यादव उर्फ सैना कुमार, पिता– दीना यादव उर्फ दीना राय, उम्र करीब 28 वर्ष,
2. मुकेश कुमार, पिता–धोलन यादव उर्फ मिथलेश यादव, उम्र करीब 27 वर्ष,

सभी साकिन–भुआपुर, थाना–पंडारक, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री संजय कुमार
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

12.03.2026 आवेदक अभियुक्त 1. संजय यादव उर्फ सैना कुमार एवं 2. मुकेश कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद पण्डारक थाना कांड संख्या 37 / 2026, अंतर्गत धारा 25(9), 27 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त संजय यादव उर्फ सैना कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जबकि आवेदक मुकेश कुमार के विरुद्ध एक अन्य मामला लंबित है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन कथानक असंभव एवं पूर्णतः असत्य है। जैसा घटना प्राथमिकी में कहा गया है, वैसी कोई घटना नहीं घटी है। आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप सामान्य एवं ओमनीबस है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है कि विडियो किसने और कब भेजा है। आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और न ही आवेदक अभियुक्तगण का कथित अपराध में कोई हाथ है। आवेदक अभियुक्तगण के फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा आवेदकगण धारा 482(2) भा. न्याय सुरक्षा संहिता के तहत सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक पु0अ0नि0 सह थानाध्यक्ष नवनीत राय हैं। इन्होंने दिनांक 11.02.26 को अपना स्वयं का बयान अंकित करवाया है, जिसमें कहा है कि दिनांक 11.02.26 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वीडियो में दो व्यक्ति अपने हाथ में लिए हुए हथियार से फायरिंग कर रहा है। इस विडियो के अवलोकन पश्चात् स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं चौकीदार की मदद से फायरिंग कर रहे व्यक्ति की पहचान करवाई गई तो फायरिंग कर रहे व्यक्तियों की पहचान मुकेश कुमार उम्र करीब 30 वर्ष एवं दूसरे व्यक्ति की पहचान संजय यादव पिता दीनानाथ यादव के रुप में हुई है तथा फायरिंग का स्थान ग्राम भुआपुर डगराईन नदी के किनारे प्रतीत होना बताया गया है। सोशल मिडिया पर इस तरह हथियार प्रदर्शित करना एवं हथियार से फायरिंग करना एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 199/2026</u>
पण्डारक थाना कांड संख्या 37/2026

लगातार
12.03.2026

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के कंडिका–2 में वादी का बयान अंकित है, जिसमें प्राथमिकी में कही गई बातों का समर्थन किया है। कंडिका–3 में वायरल विडियो का फोटो है, जो स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। कंडिका–6 में घटनास्थल का उल्लेख है। कंडिका–7 एवं 8 में साक्षी अरुण पासवान एवं शम्भु प्रसाद सिंह है जो कहते हैं कि आवेदक गांव के हैं इसलिए पहचानते हैं और अन्य को पहचानने का प्रयास करेंगे। कंडिका–11 में साक्षी अरुण पासवान हैं, इन्होंने कहा है कि आवेदक गांव के हैं, लेकिन विडियो कहां बनाये इन्हें मालूम नहीं है। साक्षियों के बयान आपस में परस्पर विरोधाभाषी हैं और उनके बयान से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। वायरल फोटो भी स्पष्ट नहीं है और घटनास्थल भी स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त कांड दैनिकी में और किसी प्रकार के साक्ष्य का उल्लेख नहीं है। आवेदक अभियुक्त संजय यादव उर्फ सैना कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जबकि आवेदक मुकेश कुमार के विरुद्ध एक अन्य मामला लंबित है। संपूर्ण कांड दैनिकी एवं जमानत आवेदन के अवलोकन पश्चात् कहीं से भी आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 25(9), 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप आकर्षित होता हुआ प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस घटना में न तो कोई आर्म्स या गोली जब्त किया गया है, न कोई फायरिंग किया गया है और न ही कोई जख्मी हुआ है, जिससे लगाया गया आरोप सामान्य एवं ओमनीवश प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि आवेदक अभियुक्तगण को दुश्मनी के कारण किसी के द्वारा साजिश के तहत् फंसाने का कार्य किया गया है। इस वाद का अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार के पश्चात आवेदक अभियुक्त 1. संजय यादव उर्फ सैना कुमार एवं 2. मुकेश कुमार को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना मैं उचित समझता हूँ, इनका अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। फलतः आदेश के तिथि से 30 दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्समर्पण करने या गिरफ्तार होने की दशा में मो0 10,000 रूपये के शपथयुक्त बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के उपरांत अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित/शुद्धित)

(राजकुमार चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ़